न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या (09/2007) 41/2008

अनवान

1. श्री गफूर खॉं पुत्र श्री सूण्डे खॉं जाति मुसलमान, साकिन उँटडा जिला–अजमेर
   मृतक जरिये वारिसान
   (1) श्रीमती रहमत बानो पत्नि स्व0 श्री गफूर खॉं
   (2) श्रीमती हरमत बानो धर्मपत्नि श्री सत्तार खॉं, पुत्री स्व0 श्री गफूर खॉं
   (3) श्रीमती हमीदा बानो धर्मपत्नि अजीज खॉं, पुत्री स्व0 श्री गफूर खॉं
   (4) मोहम्मद अयूब खॉं पुत्र स्व0 श्री गफूर खॉं
   (5) कमरूद्दीन खॉं पुत्र स्व0 श्री गफूर खॉं
   जाति मुसलमान, साकिन ग्राम उँटडा,तहसील व जिला–अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. शकूर खॉं तथाकथित दत्तक पुत्र श्री रमजू खॉं, पुत्र श्री गफूर खॉं जाति मुसलमान, साकिन ग्राम उँटडा, तहसील व जिला–अजमेर।
2. श्रीमती शकूरी पुत्री श्री सूण्डे खॉं पत्नि श्री छीतर खॉं जाति मुसलमान साकिन ग्राम उँटडा, तहसील एवं जिला–अजमेर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, रविन्द्र सेठी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री खडग सिंह, शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेन्टस

दिनांक :– 07.12.2016

आदेश

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उँटडा तहसील अजमेर के वर्किंग जमावन्दी के खाता सं0 नये 313 व पुराने 310 के खसरा सं0 852, 1373, 1374,1377, 1388, 1430, 1431, 1573, 1574, 1576, 1577 कुल किता 11 कुल रकबा 17–01–10 बीघा एवं खाता संख्या नये 95 एवं पुराने 91 के खसरा संख्या 853, 860, 1368, 1376, 1580 कुल किता 5 कुल रकबा 6–19–10 बीघा के खातेदार गफूर खॉं एवं रिमजू खॉं थे। श्री रिमजू खॉं नाऔलाद फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण उनकी माता श्रीमति फाता पत्नि मौहम्मद खां, भाई–इब्राहिम खॉं व नूर खॉं पुत्रगण श्री मोहम्मद खॉं व वहिन श्रीमति हाजरा पुत्री श्री मौहम्मद खॉं के नाम खोला जाना चाहिए था जो नहीं खोला गया। चूंकि श्रीमति फाता, श्रीमती हाजरा फौत हो चुकी है और श्री इब्राहिम खॉं एवं नूर खॉं पाकिस्तान चले गये इस कारण विरासत का नामान्तरकरण उनके चचेरे भाई व बहन गफूर खॉं पुत्र सूण्डे खॉं व श्रीमती शकूरी पुत्री सुण्डे खॉं के नाम खोला जाना चाहिए जो नहीं खोलकर राजस्व अधिकारियों द्वारा दत्तक पुत्र के आधार पर जरिये आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 26.09.1986 से रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम खोल दिया गया। इसी नामान्तरकरण से रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो बाद में राज0 सरकार राजस्व(ग्रुप–1) विभाग की अधिसूचना प्र–13(5) राज0/1/2002 जयपुर दिनांक 26.05.2008 द्वारा अजमेर तहसील में भू–प्रबन्ध क्रियाएँ बन्द घोषित किये जाने से भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर द्वारा पत्र कमांक 1293 दिनांक 31.5.2008 से पत्रावली स्थानान्तरित किये जाने से इस

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय को प्राप्त हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 व्य0प्र0सं0 स्वीकार किया जाकर मृतक अपीलान्ट के वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आक्षेपित नामान्तरकरण दिनांक 26.09.1986 की अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.07.2007 को होने पर नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त कर अभिभाषक से सम्पर्क कर उनकी सलाह अनुसार अपील तैयार करवाई जाकर अन्दर मियाद न्यायालय में पेश कर दी। जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपील बहस दौरान अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम उँटडा तहसील अजमेर के वर्किंग जमाबन्दी के खाता सं0 नये 313 व पुराने 310 के खसरा सं0 852, 1373, 1374,1377, 1388, 1430, 1431, 1573, 1574, 1576, 1577 कुल किता 11 कुल रकबा 17–01–10 बीघा एवं खाता संख्या नये 95 एवं पुराने 91 के खसरा संख्या 853, 860, 1368, 1376, 1580 कुल किता 5 कुल रकबा 6–19–10 बीघा के खातेदार गफूर खॉ एवं रिमजू खॉ थे। श्री रिमजू खॉ नाऔलाद फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण उनकी माता श्रीमति फाता पत्नि मौहम्मद खां, भाई–इब्राहिम खॉ व नूर खॉ पुत्रगण श्री मोहम्मद खॉ व बहिन श्रीमति हाजरा पुत्री श्री मौहम्मद खॉ के नाम खोला जाना चाहिए था जो नहीं खोला गया। चूंकि श्रीमति फाता, श्रीमती हाजरा फौत हो चुकी है और श्री इब्राहिम खॉ एवं नूर खॉ पाकिस्तान चले गये इस कारण विरासत का नामान्तरकरण उनके चचेरे भाई व बहन गफूर खॉ पुत्र सूण्डे खॉ व श्रीमती शकूरी पुत्री सुण्डे खॉ के नाम खोला जाना चाहिए जो नहीं खोलकर राजस्व अधिकारियों द्वारा दत्तक पुत्र के आधार पर जरिये आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 26.09.1986 से रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम खोल दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मृतक अपीलान्ट गफूर खॉ का पुत्र है, गफूर खॉ द्वारा अपने पुत्र को कभी भी किसी को गोद नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के फर्जी कुटरचित शपथ पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व मजमे आम में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं गई है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो मूलतः न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 26.9.1986 निरस्त कर अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने मुख्यतः कथन किया कि प्रश्नगत आरजी के खातेदार रिमजू खॉ वल्द मोहम्मद खॉ एवं उनकी विधवा पत्नि श्रीमती बीला के भी फौत हो जाने एवं उनके कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने के सरपंच के तस्दीक शुदा प्रमाण पत्र दिनांक 12.9.1986 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 12.9.1986 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के गोदनामें की रस्म गांव में पूरी होने को सरंपच द्वारा तस्दीक किये जाने के आधार पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण जांच के पश्चात ही विधि के प्रावधानों के तहत ही आक्षेपित

09/10/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण पारित किया गया है। नामान्तरकरण एक Fiscal proceeding है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुए आक्षेपित नामान्तरकरण बहाल रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से आक्षेपित नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं प्रश्नगत आराजी बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या एक के मृतक खातेदार के दत्तक (गोद) पुत्र होने की पूर्ण जांच किये बिना पारित किया जाना जाहिर है। इसलियें आक्षेपीय नामान्तरकरण यथावत रखा जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार कर सहायक भू अभिलेख अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आक्षेपीय नामान्तरकरण सं0 85 दिनांक 26.9.86 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष (वर्तमान खातेदार, अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स) को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, सभी तथ्यों का भली भांति परीक्षण कर नये सिरे से गुणवगुण पर विधि सम्मत आदेश 60 दिवस में पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

07/12/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner